संख्या- 5 /1578 ई-2/तेरह-2014-129/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 14 अगस्त, 2014

विषय:- वर्ष 2013-14 के लिये शीरा नीति का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी 85/दस-185(1)/शीरा नीति/2013-14, दिनांक 14 जनवरी,2014 एवं अनुवर्ती पत्रों और पत्र संख्या-जी 22/दस-185(1)/शीरा नीति/2013-14, दिनांक 10 जून,2014, संख्या-जी 23/दस-185(1)/शीरा नीति/2013-14, दिनांक 17 जून,2014 तथा संख्या-जी 28/दस-185(1)/शीरा नीति/2013-14, दिनांक 21 जून,2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2013-14 के लिये शीरा नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 34 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा, किन्तु ऐसी चीनी मिलें जिनकी अपनी आसवनी हैं, वे उस सीमा तक मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे शीरे का स्वयं की आसवनी में उपभोग करती हैं। उक्त आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा

आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथा आवश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(2) ऐसी चीनी मिल, जिसकी अपनी सह आसवनी है एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है, तो चीनी मिल सर्वप्रथम अपने उत्पादन का 34 प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेंगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा 34 प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पेराई कार्य समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुये (अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक) की गयी आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन/प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचारोपरान्त अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) यदि देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/ औद्योगिक आसवनी से ई0एन0ए0 देशी मदिरा निर्माण के लिये प्राप्त करेगी तो ऐसी ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गयी मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति ई0एन0ए0 प्राप्त करने वाली आसवनी को आवंटित आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित करके उपलब्ध करायी जायेगी।

आरक्षित शीरे के उठान हेतु आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है-

(i) 34 प्रतिशत आरक्षण की स्थिति में आरक्षित/ अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:1.94 सम्पूर्ण शीरा सत्र के लिये निर्धारित किया जाता है।

(ii) शीरा वर्ष में प्रत्येक माह में चीनी मिल द्वारा विक्रय किये गये आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:4 निर्धारित किया जाता है तथा इसकी गणना प्रत्येक निकासी के लिये नहीं होगी, बल्कि पूरे माह के अंतर्गत की गयी सम्पूर्ण निकासी पर होगी।

(4) माह के अंत में यदि चीनी मिल आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की उपरोक्तानुसार निकासी के न्यूनतम अनुपात को बनाये रखने में असफल होती है, तो आगामी माह में उसके निकासी में अनुपात की यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी चीनी मिल के लिये शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1:1.94 का अनुपात रखना निम्नलिखित व्यवस्था के अंतर्गत देय सुविधा के साथ बाध्यकारी होगा:-

(अ) प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु वर्तमान में प्रचलित विक्रय/टेण्डर प्रक्रिया के अनुरूप टेण्डर आमंत्रित करेंगी। यह टेण्डर उत्तर प्रदेश में प्रचार-प्रचार रखने वाले प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, जिसकी प्रति शीरा नियंत्रक एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से/पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी।

(ब) यदि मिल द्वारा किये गये टेण्डर के सापेक्ष कोई आफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नहीं होता है, जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं, तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (1:4 के निकासी के अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 34 प्रतिशत की मात्रा स्वतः कम हो जायेगी। आगामी माह में इस प्रकार परिवर्तित की गई मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्री-सेल शीरे की मात्रा, जो पिछले माह में न बिकी हो, को विक्रय/उठान किये जाने हेतु मिल स्वतंत्र होगी, जिस पर 1:4 का अनुपात लागू नहीं होगा।

(स) आगामी माहों हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (34 प्रतिशत) की गणना बिन्दु संख्या-ब के अनुसार परिवर्तित किये गये शीरे की मात्रा को घटाने के उपरान्त किया जायेगा।

(5) चीनी मिलें देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आरक्षित शीरे का विक्रय/सम्भरण उक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनरूप कराते हुए तदनुरूप निर्धारित अनुपात को दुरूस्त करना सुनिश्चित करेंगी। अन्यथा की दशा में आरक्षित शीरे के स्टाक को बनाये रखेंगी।

(6) शीरा वर्ष 2013-14 में अनुपात अनुरक्षण के अनुश्रवण की मासिक समीक्षा की जाएगी।

(7) उक्तानुसार अनुपात इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथास्थिति/यथावश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि अनुपात में किसी परिवर्तन(घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथा आवश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(8) चीनी मिलों में पेराई के दौरान निर्धारित अनुपात में शीरा विक्रय न कर सकने तथा मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण शीरा ओवर-फ्लो होकर नष्ट होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । कतिपय प्रकरणों में टैंक के लीकेज होने, ओवर फ्लो होने, आटोकम्बश्चन की स्थिति व अन्य आकस्मिकता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में शीरे को तत्काल क्षति से बचाने, राजस्व क्षति को रोकने एवं उद्योग हित की दृष्टि से अस्थायी रूप से अनुपात शिथिल करने के सम्बन्ध में शीरा नीति वर्ष 2012-13 में यह प्राविधान था कि अस्थायी तौर पर शीरा अनुपात में शिथिलीकरण के प्रकरणों को निस्तारण किये जाने के निमित्त चीनी मिलों के प्राप्त आवदेन-पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके आबकारी

आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति विचार कर अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त व्यवस्था शीरा वर्ष 2013-14 में भी यथावत् बनाये रखी जाती है ।

(9) शीरा वर्ष 2012-13 की भांति वर्ष 2013-14 में सामान्यतः शीरा निर्यात पर प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु शीरे की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने पर राजस्व हित में उसके निर्यात के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक की सुविचारित संस्तुति प्राप्त होने पर शीरा निर्यात की अनुमति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति द्वारा संस्तुत किये जाने पर उस पर मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। शीरा निर्यात हेतु वरीयता उत्तराखण्ड को दी जायेगी। उसे शीरा रू0 15/- प्रति कुण्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क पर निर्यात किया जायेगा। उक्त दशा में उत्तराखण्ड राज्य से एम0ओ0यू0 की भी आवश्यकता नहीं होगी। शीरा नीति वर्ष 2012-13 की भांति वर्ष 2013-14 में भी अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाती है।

(10) शीरा नीति 2012-13 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात की अनुमति शासन द्वारा प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया था। शीरा वर्ष 2013-14 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात-निर्यात करने की अनुमति शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने पर शासन के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी।

(11) उत्तर प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों को शीरा के आयात/निर्यात के सम्बन्ध में सुविचारित शर्तों के अधीन शासन स्तर से एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जा सकता है।

(12) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2012-13की भांति शीरा वर्ष 2013-14 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिये रू0 11/- प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0 15/- प्रति कुण्टल यथावत् रखने एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0 11/- प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/- प्रति कुण्टल को यथावत् बनाये रखा जाता है।

(13) शीरा वर्ष 2013-14 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जाएगी। यदि कोई चीनी मिल अपने समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तरइकाई हस्तान्तरण), तो अनिवार्य रूप से आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) शीरा नीति 2012-13 की भांति शीरा सत्र की समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर अवशेष अविक्रीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फ्री-सेल में विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा यथास्थिति निर्णय लेते हुए शासन को संदर्भित करने एवं उस पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था को शीरा वर्ष 2013-14 में भी यथावत् बनाये रखा जाता है ।

(15) खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की सम्भावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा सिविल अपील संख्या-4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उ0प्र0 राज्य व

अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में गत शीरा वर्ष 2012-13 की भांति इस शीरा वर्ष 2013-14 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा निर्गत **अनापत्ति** प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।

(16) प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था लागू किया जाना तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक के स्तर से जारी किये जायेंगे।

(17) विगत शीरा नीति 2012-13 में यह प्राविधान था कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है, तो छूट मिलने की तिथि से उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विचार करके संस्तुति की जायेगी, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

शीरा वर्ष 2013-14 में उपर्युक्त व्यवस्था को इस अभ्युक्ति के साथ लागू किया जाता है कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है, तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी।

(18) विगत शीरा नीति वर्ष 2012-13 के प्राविधान की भांति प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयां, जैसे-यीस्ट, पशु आहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक

इकाईयों को शीरे का आवण्टन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा-7(क) के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में शीरे की उपलब्धता, वास्तविक आवश्यकता तथा लोक-हित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अन्तर्गत शीरे का आवण्टन आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा किये जाने का प्राविधान शीरा नीति 2013-14 में भी यथावत् बनाये रखा जाता है।

(19) शीरा नीति 2013-14 मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0 (सी) संख्या- 29016/2012 मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्री लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(20) शीरा नीति में विचलन के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु शीरा वर्ष 2012-13 में यह व्यवस्था थी कि ऐसे मामलों में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जाएगी, जिसके संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति विचार करके अपनी संस्तुति करेगी और उस पर अन्तिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव को शीरा वर्ष 2013-14 में भी बनाये रखा जाता है अर्थात शीरा विचलन के प्रकरणों में विचारार्थ शीरा सत्र 2013-14 में भी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार शीरा विचलन समिति का गठन किया जाता है :-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त - अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि - सदस्य

(3) प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि - सदस्य

(4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि - सदस्य

(5) प्रमुख सचिव/सचिव आबकारी विभाग - सदस्य/संयोजक

(21) शीरा नीति वर्ष 2013-14 तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2014-15 के लिये आगामी शीरा नीति घोषित/लागू नहीं कर दी जाती है।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सं0–8255 /दस–शीरा/शीरा नीति/2013–14/इलाहाबादःदिनांकःअगस्त, 14 2014

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं0–8758/दस–शीरा/शीरा नीति/2012–13/दि0–14.09.2013 एवं आदेश सं0–974/दस–185(1)/शीरा नीति/2013–14 दिनांक–29.04.2014 के संदर्भ में, मैं अनिल गर्ग, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश सं0–5/1578ई–2/तेरह–2013 –129/2013 दिनांक–14.08.2014 के अनुक्रम में शीरा वर्ष 2013–14 के लिए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बंध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ :–

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 34प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा, किन्तु ऐसी चीनी मिलें जिनकी अपनी आसवनी हैं, वे उस सीमा तक मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे शीरे का स्वंय की आसवनी में उपभोग करती हैं । उक्त आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त. यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो यथा आवश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा ।

(2) ऐसी चीनी मिल, जिसकी अपनी सह आसवनी है एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है, तो चीनी मिल सर्वप्रथम अपने उत्पादन का 34प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेंगी । यदि उनकी आसवनी द्वारा 34प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पेराई कार्य समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुए (अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक)की गयी आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन/प्रतिपूर्ति के सम्बंध में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचारोपरान्त अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी, जिस पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

(3) यदि देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई0एन0ए0 देशी मदिरा निर्माण के लिये प्राप्त करेगी तो ऐसी ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गयी मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति ई0एन0ए0 प्राप्त करने वाली आसवनी को आवंटित. आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित करके उपलब्ध करायी जायेगी ।

आरक्षित शीरे के उठान हेतु आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

(i) 34प्रतिशत आरक्षण की स्थिति में आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:1.94 सम्पूर्ण शीरा सत्र के लिए निर्धारित किया जाता है ।

(ii) शीरा वर्ष में प्रत्येक माह में चीनी मिल द्वारा विक्रय किये गये आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:4 निर्धारित किया जाता है तथा इसकी गणना प्रत्येक निकासी के लिये नही होगी, बल्कि पूरे माह के अंतर्गत की गयी सम्पूर्ण निकासी पर होगी ।

(4) माह के अंत में यदि चीनी मिल आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की उपरोक्तानुसार निकासी के न्यूनतम अनुपात को बनाये रखने में असफल होती है, तो आगामी माह में उसके निकासी में अनुपात की यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी चीनी मिल के लिए शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1:1.94 का अनुपात रखना निम्नलिखित व्यवस्था के अंतर्गत देय सुविधा के साथ बाध्यकारी होगा :–

(अ) प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु वर्तमान में प्रचलित विक्रय/टेण्डर प्रक्रिया के अनुरूप टेण्डर आमंत्रित करेंगी । यह टेण्डर उत्तर प्रदेश में प्रचार–प्रसार रखने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, जिसकी प्रति शीरा नियंत्रक एवं सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से/पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी ।

(ब) यदि मिल द्वारा किये गये टेण्डर के सापेक्ष कोई ऑफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नही होता है, जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं, तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (1:4 के निकासी के अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 34प्रतिशत की मात्रा स्वतः कम हो जायेगी । आगामी माह में इस प्रकार परिवर्तित की गयी मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्री सेल शीरे की मात्रा, जो पिछले माह में न बिकी हो, को विक्रय/उठान किये जाने हेतु मिल स्वतंत्र होगी, जिस पर 1:4 का अनुपात लागू नहीं होगा ।

(स) आगामी माहों हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (34प्रतिशत) की गणना बिन्दु सं0–(ब) के अनुसार परिवर्तित किये गये शीरे की मात्रा को घटाने के उपरान्त किया जायेगा ।

(5) चीनी मिलें देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आरक्षित शीरे का विक्रय/सम्भरण उक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप कराते हुए तद्नुरूप निर्धारित अनुपात को दुरूस्त करना सुनिश्चित करेंगी । अन्यथा की दशा में आरक्षित शीरे के स्टाक को बनाये रखेंगी ।

(6) शीरा वर्ष 2013–14 में अनुपात अनुरक्षण के अनुश्रवण की मासिक समीक्षा की जायेगी।

(7) उक्तानुसार अनुपात इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथास्थिति/यथावश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि अनुपात में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो यथा आवश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा ।

(8) चीनी मिलों में पैराई के दौरान निर्धारित अनुपात में शीरा विक्रय न कर सकने तथा मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण शीरा ओवरफ्लो हो कर नष्ट होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । कतिपय प्रकरणों में टैंक के लीकेज होने, ओवरफ्लो होने, आटोकम्बश्चन की स्थिति व अन्य आकस्मिकता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है । ऐसी स्थिति में शीरे को तत्काल क्षति से बचाने, राजस्व क्षति को रोकने एवं उद्योग हित की दृष्टि से अस्थायी रूप से अनुपात शिथिल करने के सम्बधं में शीरा नीति वर्ष 2012–13 में यह प्राविधान था कि अस्थायी तौर पर शीरा अनुपात में शिथिलीकरण के प्रकरणों को निस्तारण किये जाने के निमित्त चीनी मिलों के प्राप्त आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा, जिस पर

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा । उक्त व्यवस्था शीरा वर्ष 2013–14 में भी यथावत् रहेगी ।

(9) शीरा वर्ष 2012–13 की भॉति वर्ष 2013–14 में सामान्यतः शीरा निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा, किन्तु शीरे की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने पर राजस्व हित में उसके निर्यात के सम्बंध में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त से सुविचारित संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी, जिस पर शीरा निर्यात की अनुमति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति द्वारा संस्तुत किये जाने पर अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा ।

शीरा निर्यात हेतु वरीयता उत्तराखण्ड राज्य को दी जायेगी । उसे शीरा रू0–15/– प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क पर निर्यात किया जायेगा । उक्त दशा में उत्तराखण्ड राज्य से एम0ओ0यू0 की भी अवश्यकता नहीं होगी । शीरा नीति वर्ष 2012–13 की भॉति वर्ष 2013–14 में भी अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा ।

(10) शीरा नीति 2012–13 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात की अनुमति शासन द्वारा प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया था । शीरा वर्ष 2013–14 में भी अन्य राष्ट्रों से शीरा अयात/निर्यात करने की अनुमति शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बंध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने पर शासन के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी ।

(11) उत्तर प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों को शीरा के आयात/निर्यात के सम्बंध में सुविचारित शर्तों के अधीन शासन स्तर से एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाथेगा ।

(12) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा वर्ष 2012–13 की भांति शीरा वर्ष 2013–14 में प्रदेश के अंदर खपत' के लिए रू0–11/–प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0–15/– प्रति कुन्टल एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0–11/– प्रति कुन्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0–15/– प्रति कुन्टल यथावत् रहेगी ।

(13) शीरा वर्ष 2013–14 मे चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की ज़ायेगी । यदि कोई चीनी मिल अपने समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर इकाई हस्तान्तरण) तो शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(14) शीरा नीति 2012–13 की भॉति शीरा सत्र की समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर अवशेष अविकीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फ्री सेल में विकय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक द्वारा यथास्थिति निर्णय लेते हुए शासन को संदर्भित करने एवं उस पर शासन द्वारा गुणावगुण के अधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था को शीरा वर्ष 2013–14 में भी यथावत् बनाये रखा जाता है ।

(15) खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की सम्भावना बनी रहती है । अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा सिविल अपील सं0–4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में गत शीरा वर्ष 2012–13 की भॉति इस शीरा वर्ष 2013–14 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा ।

(16) प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा–जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था लागू किया जाना तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक स्तर से जारी किये जायेंगे ।

(17) विगत शीरा नीति वर्ष 2012–13 में यह प्राविधान था कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है, तो छूट मिलने की तिथि से उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलंब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी । इस सम्बंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विचार करके संस्तुति की जायेगी, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

शीरा वर्ष 2013–14 में उपर्युक्त व्यवस्था को इस अभ्युक्ति के साथ लागू किया जाता है कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है, तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नही होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी ।

(18) विगत शीरा नीति वर्ष 2012–13 के प्राविधान की भॉति प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयां, जैसे यीस्ट, पशु आहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–7क के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में शीरे की उपलब्धता, वास्तविक आवश्यकता तथा लोकहित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अंतर्गत शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा शीरा आवंटित किये जाने का प्राविधान शीरा नीति 2013–14 में भी यथावत् लागू रहेगा ।

(19) शीरा नीति वर्ष 2013–14, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0 (सी) सं0–29016/2012 मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्ड0 लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

(20) शीरा नीति में विचलन के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु शीरा वर्ष 2012–13 में यह व्यवस्था थी कि ऐसे मामलों में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी, जिसके संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति विचार करके अपनी संस्तुति करेगी और उस पर अंतिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा । उक्त प्रस्ताव शीरा वर्ष 2013–14 में भी बना रहेगा

अर्थात शीरा विचलन के प्रकरणों में विचारार्थ शीरा सत्र 2013–14 में भी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार शीरा विचलन समिति का गठन रहेगाः–

1–	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
3–	प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
4–	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर से उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
5–	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग	–	सदस्य/संयोजक

(21) शीरा नीति वर्ष 2013–14 तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2014–15 के लिए आगामी शीरा नीति की घोषित/लागू नहीं कर दी जाती है ।

(अनिल गर्ग) 10/11/14
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

सं0–8256–8761/दस–शीरा/शीरा नीति/2013–14/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग बापू भवन, लखनऊ ।
2– गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त उप आबकारी आयुक्त आयुक्त प्रभार उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार अनुपात की समीक्षा कर आख्या शीरा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध करायें ।
5– समस्त जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश ।
6– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय ।
7– समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
8– उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश कानपुर नगर ।
9– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
10– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लि0 लखनऊ ।
11– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आसवक संघ पी0एच0डी0 हाउस, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली ।
12– सचिव, यू0पी0 आबिदा, रोहतास गोल्फ लिंक अपार्टमेन्ट 98 पार्क लखनऊ ।
13– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लखनऊ ।
14– समस्त आसवनियॉ/इकाईयॉ, उत्तर प्रदेश ।

(सन्दीप कुमार शर्मा)
अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश ।